(62)

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांकः117/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ-17(गाजि0)/294/420 दिनांकः जुलाई 4 2017,

सेवा में,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

विषयः **मैसर्स यूटिलिटी स्टेटस प्रा0लि0 लीड मेम्बर एम्मार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 (कन्सोर्शियम) द्वारा प्लाट नं0 जी0एच0-03/4, " पार्क टाउन" इन्टीग्रेटिड टाउनशिप ग्राम शाहपुर बम्हैटा एवं महरौली परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडीः2017/29352/जीजेडबी/गाजियाबाद/2016/जे0डी0।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रस्तावित आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन गाजियाबाद से किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन का स्थलीय निरीक्षण एवं मानचित्रो का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद श्री संजीव कुमार यादव द्वारा किया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या पत्रांकः आर-12/एफएसके/2017 दिनांकः 13-06-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद श्री अक्षय रंजन शर्मा को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा आख्या का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 16-06-2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा पत्रावली का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 24-06-2017 को इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी। परीक्षणोपरान्त कतिपय बिन्दुओ पर उपनिदेशक, फायर सर्विस से कतिपय आपत्तियों के निराकरण कर संशोधित मानचित्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन मे उपनिदेशक/मुख्य/अग्निशमन अधिकारी द्वारा आपत्तियों का निराकरण कराकर अपनी आख्या उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत हैः-

भवन की संरचनाः-

1-कुल प्लाट एरिया-22,790.00 वर्ग मी0।

3-प्रस्तावित 02 अदद बेसमेन्ट लोअर/अपर का कवर्ड एरिया-18,243.344 वर्ग मी0 प्रत्येक है, जिसमे प्रस्तावित टावर का एरिया विवरण निम्नवत हैः-

क्र0स0	तलों का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	कुल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	स्टेयर की संख्या एवं चौडाई मी0	ऊचाँई मी0
1	02बेस0+भूतल+स्टिल्ट+22 तल	1548.509	31,933.203	03 अदद 01.50 मी0 प्रत्येक।	68.93

भवन का अधिभोग एवं हैजार्डः-प्रश्नगत भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी0-2016 की ए0-4 श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः-

1-पहुँच मार्गः-प्रश्नगत के मानचित्रों में भवन के सामने 30.00 मीटर चौडा रोड प्रदर्शित है।

2-प्रवेश द्वारः-प्रश्नगत के मानचित्रों में भवन मे प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौडाई 09.30 मीटर प्रस्तावित है।

3-सैटबैकः- प्रश्नगत भवन के मानचित्रों के अनुसार भवन के सैटबेक निम्नवत हैः-

ए0-अग्रभाग-15.00 मीटर। बी0-पृष्ठभाग-09.00 मीटर।

सी0-पार्श्व प्रथम-06.00 मीटर। डी0-पार्श्व द्वितीय 09.00 मीटर प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन के सैटबेक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथा संशोधित के प्रस्तर 3.4.5 के अनुसार है, तथा भवन के चारो ओर अग्निशमन वाहनो की आवश्यकताओ हेतु 09.00/06.00 मीटर चौडाई का हार्ड सरफेस युक्त मोटरेबुल मार्ग प्रदर्शित है, जिसे सदैव अवरोध मुक्त ऑपन टू स्काई रखा जाये, इसमे किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी।

4-निकास मार्गः-प्रश्नगत भवन में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयरकेस उपलब्ध है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर स्टेयरकेस की चौडाई मानचित्र में प्रदर्शित चौडाई से कम नही होनी चाहिये। प्रत्येक टावर की फायर स्टेयर पर 02 घण्टे फायर रेटिंग का फायर चैक डोर स्थापित कराया जाना अनिवार्य होगा।

5-रिफ्यूज एरियाः- भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः- प्रश्नगत भवनों मे एन0बी0सी0-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना प्राविधानित है।

1-होजरील/डाउनकमरः- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर/ब्लॉक के प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाईप एवं ब्रान्च पाईप एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

2-भूमिगत टैंकः-प्रश्नगत भवन में 02 लाख ली0 पानी क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

3–पम्पस– प्रश्नगत भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन विद्युत चालित फायर पम्प, इतनी ही क्षमता 01 अदद डीजल पम्प एवं 02 अदद जौकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0 मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है।

4–टेरिस टैंक–प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली0 का स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

5–टेरिस पम्प–प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस पम्प एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय नहीं है।

6–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक तल पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

8–आटोमेटिक डिस्टेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे आटोमेटिक डिस्टेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

9–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधानित है।

10–स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम/मैकेनिकल वेन्टीलेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

11–एग्जिट साईनेज– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

12–पी0ए0 सिस्टम– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–कम्पार्टमैन्टेशन– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–प्रेशराईजेशन– प्रश्नगत भवन मे आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन एनबी0सी0 के भाग–4 के निर्देशानुसार किया जायेगा।

15–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

16–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट–4 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

17–भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र मेरठ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स यूटिलिटी स्टेटस प्रा0लि0 लीड मेम्बर एम्मार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 (कन्सोर्शियम) द्वारा प्लाट नं0 जी0एच0–03/4, " पार्क टाउन" इन्टीग्रेटिड टाउनशिप ग्राम शाहपुर बम्हैटा एवं महरौली परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2016 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ, तथा इस निर्देश के साथ प्रेषित की विलम्बतम 24 घण्टे मे फायर सर्विस की बेवसाइट पर अपलोड कर तथा आवेदक को सम्बन्धित प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3–अग्निशमन अधिकारी कोतवाली जनपद गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

4–मैसर्स यूटिलिटी स्टेटस प्रा0लि0 लीड मेम्बर एम्मार एम0जी0एफ0 लैण्ड लि0 (कन्सोर्शियम) ग्राम शाहपुर बम्हैटा एवं महरौली परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।